निर्णय ब–इजलास प्रकाश राजपुरोहित, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 28/2023 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये श्री जयराम, प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर द्वितीय।

प्रार्थी

बनाम

मैसर्स न्यू दिल्ली ग्रांड रेस्टोरेन्ट, रीको, कूकस, आमेर, श्री गोपाल पुत्र श्री रामविलास सिंह, निवासी 304, पुरोहितों का मोहल्ला, आमेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 25.200 किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
2. श्री आर. एल. वर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 22.08.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 21.10.2022 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों का वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ मैसर्स न्यू दिल्ली ग्रांड रेस्टोरेन्ट, रीको, कूकस, आमेर, जयपुर से जब्तशुदा 06 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 25.200 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 04.11.2022 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थी जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री आर. एल. वर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच रेस्टोरेन्ट में 06 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 25.200

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

किलोग्राम के पाये गये है जिनसे ग्राहकों को खाना बना कर विकय किया जाता है। रेस्टोरेन्ट मालिक द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग किया जा रहा है। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा सिलेण्डर्स मय एल.पी.जी को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि उक्त सिलेण्डर प्रार्थी व उसके अन्य परिवार जनों के गैस कनेक्शन के है जो रेस्टोरेन्ट पर रखे हुये थे, जिन्हें वाणिज्यिक उपयोग में लिये जाना बता कर गलत तरीके से जब्त कर लिया गया। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावे।
6. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 21.10.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।
7. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण रेस्टोरेन्ट में घरेलू गैस सिलेण्डर्स मय एलपीजी पाई गई है, जिससे घरेलू गैस का व्यावसायिक दुरूपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर्स बाबत कोई दस्तावेज व संतोषजनक जवाब पेश नहीं किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा सिलेण्डर्स मय एलपीजी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।
8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 06 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 25.200 किलोग्राम को राजसात (**Confiscate**) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में दिनांक 04.11.2022 को पारित किये जा चुके है तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।
9. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।
10. निर्णय आज दिनांक 22.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner